



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 10, 2011/माघ 21, 1932

No. 271]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 2011/MAGHA 21, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2011

का.आ. 315(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से सावनेर-13 किलोमीटर) के भाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

[फा. सं. एन. एच-14013/7/2010-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2011

S.O. 315(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the portion of National Highway No. 26B (Madhya Pradesh/Maharashtra border to Saoner-13 km) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India.

[F.No. NH-14013/7/2010-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.